रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274758
CG-DL-E-24072026-274758

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3851] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948
No. 3851] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4021(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2819(E) तारीख 02/06/2026**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के अरवल जिले में नया एनएच-33 के कि०मी० 19 (किंजर) (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 110 के कि०मी० 71) के पुनपुन नदी पर (5x26.50 मीटर के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल बनाना चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन/चार लेन निर्माण आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18/06/2026 को “हिंदुस्तान” एवं तारीख "18/06/2026 को “द टाइम्स ऑफ़ इंडिया” में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के अरवल जिले में नया एनएच-33 के कि०मी०19 (किंजर) (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 110 के कि०मी० 71) के पुनपुन नदी पर (5x26.50 मीटर के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: अरवल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करपी					
गांव का नाम: किंजर					
1	1142	सरकारी	मकान (गैर मज़ारुआ मालिक)	0.15717	सरकारी भूमि 1142
2	2768	निजी	परती	0.0566	गौतम कुमार वो उत्तम कुमार पिता स्वर्गीय विमल सिंह 2768
3	2768	निजी	परती	0.01312	सुनील सिंह वो अमित सिंह पिता स्वर्गीय विजय सिंह 2768
			Total	0.22689	

[फा. सं. RW/PAT/NH-110/KM-71/Kinjar/LA/2021/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4021(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2819(E) Dated:02/06/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (5x26.50 meter High Level RCC Bridge/widening/Two Lane with paved shoulder/four laning etc.,) Maintenance, management and operation of new NH-33 at Km 19(Kinjer) (Old NH-100 at Km 71) NH110 in the district of ARWAL in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in dated “Hindustan” dated 18/06/2026 and "The Times of India" dated 18/06/2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the new NH-33 at Km 19 (Kinjer) (Old Nh-110 at Km 71) in the district of ARWAL in the state of BIHAR.

State: BIHAR			**District: ARWAL**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Karpi					
Village: Kinjar					
1	1142	Government	Makaan (Gair Mazarua Malik)	0.15717	Government Land 1142
2	2768	Private	Parti	0.0566	GAUTAM KUMAR WO UTTAM KUMAR SON OF LATE VIMAL SINGH 2768
3	2768	Private	Parti	0.01312	SUNIL SINGH WO AMIT SINGH SON OF LATE VIJAY SINGH 2768
			Total	**0.22689**	

[F. No RW/PAT/NH-110/KM-71/Kinjar/LA/2021/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.24 15:48:05 +05'30'